कार्यालय :– न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार,(छ.ग.)

//आदेश //

क्र0–04/ दो–10–1/2019 बलौदाबाजार, दिनांक–31/01/2025

इस स्थापना हेतु गठित चयन समिति के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस स्थापना में रिक्त भृत्य पद पर चयनित निम्नानुसार अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल–1 (रूपये 15600–49400) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्णतः अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि प्राविधिक (प्रोविजनल) के रूप में निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	परीक्षार्थी के पिता/पति का नाम	वर्ग	परीक्षार्थी का पत्र व्यवहार का वर्तमान पता/स्थायी पता
1	FCP305	योगेश यादव	लोकेश यादव	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री राम चौक टिकरापारा रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0)

नियुक्ति की शर्तें :–

1. चयनित उम्मीदवार आवश्यक रूप से अपनी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों की मूल के साथ उनकी दो–दो प्रति स्वयं अभिप्रमाणित कर साथ लावें।
2. चयनित उम्मीदवार जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र तत्परता से पेश करना होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परीवीक्षा अवधि 01 वर्ष और आगे बढ़ाई जा सकती है तथा परीवीक्षा अवधि में कार्य आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना कारण बताए सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
4. यदि शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो 01 माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा 01 माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्तें कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकेगा।
6. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
7. कोई भी प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
8. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जा सकेगी। इस हेतु पुनः सूचित नहीं किया जावेगा। कार्यभार ग्रहण करते समय दो नग सेवा पुस्तिका सहित समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां सहित अवलोकनार्थ मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व वृतान्त सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। पदभार ग्रहण करने के उपरांत सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति कर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। चरित्र सत्यापन कराये जाने पर किसी अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन क्रमांक (सी) 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022

के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश/निर्णयों अध्यधीन होगा।

11. नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेंगे। यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

12. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रं. 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 (वित्त निर्देश 33/2023) के आलोक में, नवनियुक्त कर्मचारी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है, उक्त अवधि में उन्हें उनके पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जावेगा।

Sd/-
(कु. सरोज नंद दास)
न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बलौदाबाजार (छ.ग.)

पृष्ठां. क0–25/ दो–10–1/2019 **बलौदाबाजार, दिनांक–31/01/2025**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर ज्ञापन कमांक 4650/ III-18-27/2023,/डी.ई. बिलासपुर दिनांक 15.03.2024 के आलोक में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री योगेश यादव पिता लोकेश यादव, पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता–श्री राम चौक टिकरापारा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. लेखापाल/कार्यालय लिपिक, कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बलौदाबाजार (छ.ग.)